राजस्थान लोक सेवाओं की प्रदान की गारंटी अधिनियम 2011

जिला प्रशासन करौली

राजस्थान में यह अधिनियम 14 नवम्बर 2011 से कियाशील हो जावेगा। अधिनियम, नियम, पदाभिहित अधिकारी, प्रथम अपील अधिकारी, द्वितीय अपील अधिकारी के सम्बन्ध में अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित की जा चुकी है। 15 विभागों की 108 सेवाओं को अधिसूचित किया गया है। पारदर्शी, संवेदनशील एवं जवाबदेह प्रशासन देने की दिशा में राजस्थान सरकार का यह अभूतपूर्व कदम है।

अधिनियम लागू होने से क्या लाभ है ?

यह अधिनियम लागू हो जाने से आमजन को अधिसूचित सेवाएं निर्धारित समयावधि में प्राप्त हो सकेगी। सम्बन्धित विभाग के अधिकारी अनावश्यक विलम्ब नही कर पाएगें और नागरिकों की समस्याओं का निश्चित समय सीमा में निस्तारण हो सकेगा। कार्य निष्पादन में विलम्ब, लापरवाही, संवेदनहीनता व भ्रष्टाचार की प्रवृति पर अंकुश लगाने की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण कदम है।

किन सेवाओं को शामिल किया गया है ?

प्रारम्भ में 15 विभागों की, 53 विषयों की 108 सेवाओं को अधिनियम में शामिल किया गया है। इनमें आमजन से जुडे सभी प्रमुख विभाग जैसे राजस्व, जलदाय, विद्युत वितरण, चिकित्सा, पुलिस, स्थानीय निकाय, नगरीय विकास, खाद्य एवं आपूर्ति, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता, सार्वजनिक निर्माण, वित्त, आवासन मण्डल, जल संसाधन, यातायात आदि शामिल किए गए है।

सेवाओं की जानकारी कैसे प्राप्त करे ?

आम जनता की सुविधा के लिए सेवाओं से सम्बन्धित सभी जानकारी, कार्यालय के किसी सहज दिखने वाले स्थान पर नोटिस बोर्ड पर प्रर्दशित कराई गई है। नोटिस बोर्ड पर अधिसूचित सेवाएं प्राप्त करने के लिए आवेदन के साथ दिए जाने वाले आवश्यक दस्तावेजों का उल्लेख भी किया गया है।

आवेदन कैसे करे ?

आप जिस विभाग से सम्बन्धित अधिसूचित सेवा के लिए आवेदन करना चाहते है, उससे सम्बन्धित समस्त जानकारी जैसे आवश्यक दस्तावेज, नियत समय अवधि, पदाभिहित अधिकारी, आवेदन प्राप्त करने के लिए अधिकृत कार्मिक आदि की सूचना कार्यालय के बाहर प्रदर्शित की जावेगी। आवेदन को पूर्ण कर आवश्यक दस्तावेजों के साथ अधिकृत कार्मिक को सुपुर्द करे।

रसीद किससे प्राप्त करें ?

सेवा से सम्बन्धित आवेदन अधिकृत अधिकारी / कर्मचारी को देकर उससे प्राप्ति की रसीद अवश्य प्राप्त करें। इसमें पदाभित अधिकारी का नाम, कार्यालय का पता, सेवा का नाम, नियत समय अवधि का अंकन होगा और प्राप्त करने वाले कार्मिक के हस्ताक्षर भी होंगे।

यदि अभिस्वीकृति देने से इंकार किया जावे, तो क्या करे ?

सेवा के लिए आवेदन करने पर अभिस्वीकृति दिए जाने का अधिनियम में प्रावधान है। यदि आवेदन अपूर्ण है तो उसका अंकन करके अभिस्वीकृति दी जावेगी। किसी भी दशा में अभिस्वीकृति देने से इंकार नही किया जा सकता। यदि ऐसा किया जाता है तो आवेदक प्रथम अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत कर सकता है।

यदि आवेदन नामंजूर कर दिया जावे तो क्या होगा ?

यदि आवेदन में मांगी गई सेवा दिया जाना संभव ना हो और उसे नामंजूर कर दिया जाता है, तो उसके कारण लेखवद्ध करते हुए इसकी सूचना

आवेदक को दिया जाना आवश्यक है। आवेदक कमी पूर्ति करके दूसरा आवेदन देने या नामंजूरी आदेश के विरूद्धअपील दायर करने के लिए स्वतन्त्र है।

यदि नियत समय अवधि में सेवा दिया जाना संभव ना हो क्या होगा ?

यदि किन्हीं कारणों से आवेदक को सेवा अधिनियम में निर्धारित समय अवधि में प्रदान नही की जा सकती हो, तो इसकी सूचना आवेदक को दी जानी आवश्यक है। आवेदक को यह जानने का अधिकार है कि उसे निर्धारित समय अवधि में सेवा देने में विभाग को क्या बाधा है।

सेवा विलम्ब से मिलने या ना मिलने पर क्या करे ?

यदि आवेदक को सेवा प्राप्त नही होती या निर्धारित अवधि के बाद प्राप्त होती है तो वह अधिनियम में निर्धारित प्रथम अपीलीय अधिकारी के समक्ष 30 दिवस के भीतर प्रथम अपील दायर कर सकता है।

प्रथम अपील कैसे की जावेगी ?

प्रथम अपील, अपीलार्थी का नाम पता, पदाभिहित अधिकारी का नाम, पता, आदेश की स्व प्रमाणित प्रति जिसके विरूद्धअपील पेश की जा रही है, अपील में चाही गई राहत व अन्य सुसंगत जानकारी अंकित करते हुए प्रस्तुत की जावेगी।

प्रथम अपीलीय अधिकारी क्या करेगा ?

आवेदक से अपील प्रांप्त होने पर प्रथम अपील अधिकारी उसे रजिस्टर में दर्ज करेगा और आवेदक व पदाभिहित अधिकारी को सम्मन जारी कर सुनवाई के लिए तलब करेगा। यदि किसी दस्तावेज या पत्रावली की आवश्कता है तो उसे भी तलब करेगा। प्रथम अपील अधिकारी को 21 दिन के भीतर अपील का निस्तारण करना होगा और लिखित आदेश जारी कर उसकी एक प्रति अपीलार्थी व पदाभिहित अधिकारी को देनी होगी।

क्या अपील के लिए कोई फीस देय है ?

प्रथम व द्वितीय अपील के लिए कोई फीस देय नही है। अपील दायर करने के लिए अपीलार्थी को किसी भी प्रकार के शुल्क या फीस का संदाय नही करना होगा।

प्रथम अपील के आदेश के बाद क्या होगा ?

यदि अपीलार्थी की अपील स्वीकार कर पदाभिहित अधिकारी को सेवा देने के आदेश होते है तो आवेदक पदाभिहित अधिकारी से सेवा प्राप्त कर सकेगा। यदि अपील नामंजूर हो जाती है तो अधिसूचित द्वितीय अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील कर सकेगा।

द्वितीय अपीलीय अधिकारी क्या आदेश दे सकेगा ?

द्वितीय अपीलीय अधिकारी अपील की सुनवाई के बाद अपने आदेश में प्रथम अपीलीय अधिकारी के आदेश को नामंजूर कर अपील स्वीकार कर सकता है या अपील खारिज कर सकता है। द्वितीय अपीलीय अधिकारी को पदाभिहित अधिकारी व प्रथम अपील अधिकारी पर शास्ति लगाने का अधिकार भी प्राप्त है।

द्वितीय अपील नामंजूर होने पर क्या होगा ?

अधिनियम में दो स्तरों पर अपील का प्रावधान है। प्रथम व द्वितीय अपील खारिज होने के बाद आवेदक इस अधिनियम के तहत कोई अनुतोष प्राप्त नही कर सकता है।

शास्ति के क्या प्रावधान है ?

इस अधिनियम की महत्वपूर्ण विशेषता समय अवधि में सेवा की प्रदानगी नही होने पर शास्ति का प्रावधान किया गया है, जिसमें किसी विभाग का कोई अधिकारी/कर्मचारी उसकी परिधि में घोषित सेवाओं को निर्धारित समय सीमा में प्रदान नही करता है, तो कम से कम पॉच सौ रूपये से लेकर अधिकतम 5000रू तक के आर्थिक दण्ड का प्रावधान है। यदि पदाभिहित अधिकारी सेवा

प्रदान करने में अनावश्यक विलम्ब करता है तो प्रतिदिन 250रू अधिकतम 5000रू का आर्थिक दण्ड का प्रावधान है। दण्ड की राशि उत्तरदायी अधिकारी/कर्मचारी के वेतन से वसूली जावेगी।

आवेदक को क्या आर्थिक अनुतोष प्राप्त हो सकता है ?

आवेदक को द्वितीय अपीलीय अधिकारी पदाभिहित अधिकारी पर लगाई गई शास्ति में से आर्थिक अनुतोष प्रदान करने का आदेश भी दे सकता है। इसके लिए अपीलार्थी को अपने अपील आवेदन में अनुतोष की मांग करनी चाहिए।

क्या अपीलीय अधिकारी के समक्ष स्वयं उपस्थित होना होगा ?

अपीलार्थी को प्रथम/द्वितीय अपीलीय अधिकारी के समक्ष स्वयं/व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने की कोई अनिवार्यता नही है। अपीलार्थी की ओर से उसका पक्ष रखने के लिए प्रतिनिधि भी उपस्थित हो सकता है।

शास्ति को कैसे वसूल किया जावेगा ?

पदाभिहित अधिकारी/प्रथम अपीलय अधिकारी के विरूद्वशास्ति का आदेश पारित होने पर उसकी एक प्रति आहरण वितरण अधिकारी व कोषाधिकारी को भेजी जावेगी और आगामी माह के वेतन से यह शास्ति वसूल कर राज्यकोष में जरिए चालान जमा की जावेगी।

शास्ति अधिरोपित होने पर पदाभिहित अधिकारी क्या करे ?

यदि किसी पदाभिहित अधिकारी के विरूद्वद्वितीय अपीलीय अधिकारी द्वारा शास्ति वसूल करने के आदेश दिए जाते है तो वह इस आदेश के विरूद्वपुनरीक्षण विभाग के प्रभारी सचिव के सम्मुख प्रस्तुत कर सकता है।

क्या यह विधेयक अन्य राज्यों में लागू अधिनियम से भिन्न है ?

राजस्थान में लागू अधिनियम में कुछ विशेष प्रावधान शामिल किए गए है, जो निम्न प्रकार है :–

- अधिनियम में केवल राज्य सरकार के विभाग ही नही बल्कि निकाय, बोर्ड, निगम, विश्वविधालय एवं ऐसी संस्थाएं जिन्हें राज्य सरकार से सहायता प्राप्त होती है को शामिल किया गया है।
- जलदाय विभाग, जल संसाधन विभाग, सार्वजनिक निर्माण विभाग, स्थानीय निकाय विभाग आदि द्वारा ली जाने वाली अमानत राशि एवं धरोहर राशि को समय पर लौटाने का प्रावधान है।
- सेवा निवृत्त अधिकारियों/कर्मचारियों की पेंशन व अन्य समस्याओं के प्रकरणों को समयवद्ध निस्तारण की व्यवस्था की गई है।
- उर्जा से सम्बन्धित नये विद्युत कनेक्शन के साथ–साथ विद्युत बिलों को ठीक करना, मीटर बदलवाना, विद्युत सप्लाई को ठीक करवाना आदि से सम्बन्धित सेवाएं।
- जलदाय विभाग के अन्तर्गत हैण्डपम्प ठीक करवाना, जल सप्लाई को ठीक करवाना, पानी के बिलों को ठीक करवाना तथा मीटर बदलवाना, फाईनल बिल, समयावधि बढाना एवं डेविएशन को शामिल किया गया है।
- स्थानीय निकाय द्वारा जारी की जानी वाली सभी तरह की एन.ओ.सी. एवं निकायों द्वारा जारी किए जाने वाले सभी प्रकार के लाईसेंस सम्मिलित किए गए है।
- नगरीय विकास विभाग व स्थानीय निकाय के अन्तर्गत भवन निर्माण स्वीकृतियां, भूखण्ड उप विभाजन, पुर्नगठन, सामुदायिक केन्द्रो का आरक्षण, दस्तावेज/मानचित्र की प्रति प्राप्त करना शामिल किया गया है।
- आवासन मण्डल की सेवाएं सिर्फ हमारे राज्य में शामिल की गई है।